न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– अभिषेक सुराणा

मु.न. 54/2019

उनवान

1. श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री गंगाराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम गुवारडी, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
2. ए0एन0 स्कूल शिक्षा समिति राधास्वामी बाग, चौमूं जरिये सचिव श्रीमति सुमित्रा चौधरी पत्नी श्री बलवीर सिंह, जाति जाट, निवासी राधा स्वामी बाग, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री मंगल, जाति मीणा, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी

निर्णय दिनांक:– 15.02.2021

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की ग्राम लोहरवाडा, पटवार हल्का लोहरवाडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी हाल खाता संख्या 206 के खसरा नम्बर 1379/1021 रकबा 0.2114 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

प्रार्थीया संख्या 1 ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 1021/711 रकबा 0.23 हैक्टेयर के नये बने खसरा नम्बर 1379/1021 रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि को राजस्थान भू०राज0 (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये सम्परिवर्तन) नियम 2007 के तहत सम्परिवर्तन करवाया, जिसमें से 186 वर्गमीटर आई0 आर0 सी0 से प्रभावित भूमि को संप्रर्तित की एवं 88.80 वर्गमीटर भूमि एच0 टी0 लाइन से प्रभावित होने पर शेष के नये बने खसरा नम्बर 1379/1021/1 क्षेत्रफल 2025.20 वर्गमीटर भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजि0 जयपुर के आदेश क्रमांक राजस्व 18बी (6)12/शैखणिक/10237–42 दिनांक 01–11–2012 को जारी किया हुआ हैं। जिसको जरिये रजि0 विकय पत्र दिनांक 28–12–2012 को प्रार्थी संख्या 2 को विक्रय कर दिया, लेकिन हाल राजस्व रिकार्ड प्रार्थीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त में है जिस पर प्रार्थीगण काबिज हो कर सभी प्रकार से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण को अपनी भूमि को प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग में लेने व उक्त काश्तीयात की भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुये पत्थरगढी आदि करवाने का पूर्णतया वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं।

उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतु माननीय तहसीलदार चौमूं के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर तहसीलदार महोदय चौमूं, जिला जयपुर के आदेश क्रमांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:21:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जयपुर

Scanned with CamScanner

उनवान – ईश्वर दयाल बनाम सरकार वगै0
प्रार्थना पत्र पत्थरगढी
निर्णय दिनांक 13.11.2019

भू–1412 दिनांक 26/04/2013 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13–05–2013 को सीमाज्ञान किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी भूमि के सीमाजोड पडौसी काश्तकार हैं जो प्रार्थीगण से रंजिश रखते हैं, जो सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी नहीं करने देते हैं तथा प्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कार्यवाही दिनांक 13–05–2013 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 2 को करने देने में बाधा, रूकावट पैदा करते हैं व मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 को सीमाज्ञान दिनांक 13–05–2013 के अनुसार पत्थरगढी नहीं करने देते। ऐसे में धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढ की कार्यवाही किये जाने हेतु न्यायालय श्रीमान् को सुनवाई कर आदेश पारित करने के अधिकार कानूनन निहित हैं, इस कारण प्रार्थीगण को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वर्णित भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश जरिये पुलिस इमदाद अप्रार्थी संख्या 2 पर किये जाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जावें कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मेंवर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा दिनांक 13–05–2013 के सीमाज्ञान कार्यवाही अनुसार पत्थरगढी किये जाने में किसी प्रकार की बाधा या रूकावट ना तो स्वंय पैदा करें, ना ही अन्य से करवायें व अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण की वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना मौके पर सुनिश्चित करें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली, जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 13.05.2013 को पटवारी हल्का लोहरवाडा द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो [illegible] उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना [illegible]। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.03.15 14:21:38 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक सुराणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner